बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
अधिसूचना।

पटना, दिनांकः- 19-6-14

एस0 ओ0-- दिनांक- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा-5 के साथ वर्णित उक्त अधिनियम की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद से भी परामर्श करने के पश्चात् बिहार राज्यपाल अनुबद्व अनुसूची-1(ब)के स्तंभ-2 में अंकित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी के दरों पर परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता लागू करने की घोषणा करते है । अनुसूची -1(ब) के स्तभं -02 में उल्लिखित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों पर परियोज्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उक्त अनुसूची-1(अ) के स्तंभ-02 के प्रदर्शित मासों के हेतु उक्त अधिनियम की धारा-2 के खंड (डी) के प्रयोजन के निमित अनुसूची 1(अ) के स्तम्भ-04 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

अनुसूची-1(अ)

माह एवं वर्ष	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (2001-100)	आधार वर्ष परिवर्त्तन हेतु लिंक फैक्टर	परिवर्तित मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (1960-100)
जुलाई, 2013	235	4.63x4.93	5364.08
अगस्त, 2013	237	4.63x4.93	5409.73
सितम्बर, 2013	238	4.63x4.93	5432.56
अक्टूबर, 2013	241	4.63x4.93	5501.04
नवम्बर, 2013	243	4.63x4.93	5546.69
दिसम्बर, 2013	239	4.63x4.93	5455.39
		योगः –	**32709.49**

औसतः **32709.49**÷ 6

= 5451.58

अनुसूची-1(ब)

....

अनुसूचित नियोजन का नामः- (1) पापड़ उद्योग, (2.) नाविक के नियोजन, (3.) अगरबत्ती उद्योग, (4.) सफाई कर्मचारी के नियोजन (शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 के अधीन प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर) / अधिसूचना संख्या- 2805, 2806 दिनांक 30.09.2011
गजट संख्या- 564 दिनांक 30.09.2011

अनुसूची -II

क्र0 सं0	कामगारों की कोटि	निर्धारित न्यूनतम मजदूरी + दिनांक-01.04.2012+01.10.12+ 01.04.2013+01.10.2013 से लागू परिवर्त्तनशील महँगाई भत्ता (रुपये में)	परिवर्त्तनशील महँगाई भत्ता की राशि जो कि दिनांक - 01.04.2014 से प्रभावी होगी (रुपये में)	01.04.2014 से लागू कुल मजदूरी की दरें (स्तंभ 3+4)
1	2	3	4	5
1.	अकुशल	138.00+7.00+6.00+11.00+8.00 = 170.00	7.00	177.00 प्रतिदिन
2.	अर्द्धकुशल	144.00+7.00+6.00+11.00+8.00 = 176.00	8.00	184.00 प्रतिदिन
3.	कुशल	176.00+9.00+7.00+13.00+10.00 = 215.00	10.00	225.00 प्रतिदिन
4.	अतिकुशल	215.00+11.00+9.00+16.00+13.00 = 264.00	11.00	275.00 प्रतिदिन
5.	पर्यवेक्षीय/लिपिकीय	3974.00+199.00+167.00+304.00+232.00 = 4876.00	211.00	5087.00 प्रतिमाह

परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होगा जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई है। उपर्युक्त सूचकांक में यथास्थिति वृद्धि अथवा ह्रास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ-4 में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जायेगी और उसे परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का अंश समझा जायेगा। परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाय जिस पर न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई हो तो, निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी में कोई परिवर्त्तन नहीं होगा । उक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता भुगतान उपर्युक्त दर से ***जुलाई-दिसम्बर, 2013*** के औसत के आधार पर ***अप्रैल, 2014*** से देय होगा और इसके बाद प्रत्येक छः महीने के औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि में वृद्धि अथवा कमी संबंधित छमाही के तीन महीने बाद से लागू होगा ।

(संख्या-5/एम0डब्लू0-402/08 श्र0सं0- 1695)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

अमरेन्द्र नारायण मिश्र 18/6/14

(अमरेन्द्र नारायण मिश्र)

सरकार के अवर सचिव ।

अधिसूचना

पटना, दिनांक- 19-6-14

एस0ओ0 दिनांक का अँग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अँग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

(संख्या-5/एम0डब्लू0-402/08 श्र0सं0- 1696)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(अमरेन्द्र नारायण मिश्र) 18/6/14

सरकार के अवर सचिव ।

NOTIFICATION

Patna, dated-

S.O. Date In exercise of the powers conferred by section -3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), read with the clause (B) of sub-section(1) of Section-5 of the said act, and also after consulting the Bihar Minimum Wages Advisory Board, the Governor of Bihar is pleased to introduce the formula for Variable Dearness Allowance in the minimum rates of wages fixed/ revised for the different categories of employees employed in the scheduled employments mentioned in column-02 of schedule 1(B) here to appended for the months shown in column-2 of the said schedule shall be shown in column-04 of the schedule 1(A) for the purpose of clause (d) of section -02 of the said Act.

Schedule-1 (A)

Month & Year	Index N0 Base Year (2001-100)	Link Factor Change for base year	Changed Index No. for base year (1960-100)
1	2	3	4
July, 2013	235	4.63x4.93	5364.08
August, 2013	237	4.63x4.93	5409.73
September, 2013	238	4.63x4.93	5432.56
October, 2013	241	4.63x4.93	5501.04
November, 2013	243	4.63x4.93	5546.69
December, 2013	239	4.63x4.93	5455.39
Total			**32709.49**
		Average	**32709.49÷ 6** = 5451.58

SCHEDULE-I(B)

Name of employment - (1.) Papad Industry (2.) Sailars employment (3.) Agarbati Industry (4.) Employment of Safaies Karamcharis (Exculding activities prohibited under the Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines Prohibition Act 1993)/ Notification No.- 2805, 2806 dated. 30.09.2011
Gazette No. - 564 dated- 30.09.2011

SCHEDULE -II

Sl. No	Categories of Workers	Minimum Wage Fixed + V.D.A from 01.04.2012+01.10.12+01.04.2013 + 01.10.2013 (In. Rs.)	Amount of V.D.A. which is effective from the date 01.04.2014	Total rates of wages effective from the date 01.04.2014 (Column 3+4)
1	2	3	4	5
1	Unskilled	138.00+7.00+6.00+11.00+8.00 = 170.00	7.00	177.00 Perday
2	Semi skilled	144.00+7.00+6.00+11.00+8.00 = 176.00	8.00	184.00 Perday
3	Skilled	176.00+9.00+7.00+13.00+10.00 = 215.00	10.00	225.00 Perday
4	Highly Skilled	215.00+11.00+9.00+16.00+13.00 = 264.00	11.00	275.00 Perday
5	Supervisory/Clerical	3974.00+199.00+167.00+304.00+232.00 = 4876.00	211.00	5087.00 Permonth

These rates of Variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index on which the minimum rates of wages has been fixed/revised in the above scheduled employments. There will be increase or decrease in wage of rates shown in column 4 with rise or fall as the case may be in aforesaid index of the above scheduled employments and will be deemed as Variable Dearness Allowance components . But even it the Index fall below the point on which minimum rates of wages have been fixed / revised, there will not be any reduction in the minimum wages fixed/revised. The payment of variable Dearness Allowance on the basis of average index of **July-December, 2013** will be payable at the aforesaid rates from **April, 2014** and there after increase or decrease in the amount of variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index number for every six months and will be applicable after the expiry of three months after said period of six months.

(No-5/ M.W.- 402 /08 L&R- 1695)
By the order of the Governor of Bihar
Amrendra Narayan Mishra
(Amrendra Narayan Mishra) 16/6/14
Under Secretary to Government of Bihar.

ज्ञापांक-5/एम0डव्लू-402 /08 श्र0सं0- 1696 पटना, दिनांक- 19-6-14

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, गजट मुद्रण कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की दो प्रतियाँ एवं सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अधिसूचना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने की कृपा की जाय एवं उक्त राजपत्र की 100 (सौ) प्रतियाँ श्रमायुक्त, बिहार का कार्यालय श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अमरेन्द्र नारायण मिश्र 18/6/14

(अमरेन्द्र नारायण मिश्र)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-5/एम0डव्लू-402 /08 श्र0सं0- 1696 पटना, दिनांक- 19-6-14

प्रतिलिपि- निदेशक, श्रम मंत्रालय(वेज सेल) भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली/ निदेशक, श्रम व्यूरों, शिमला एवं चंडीगढ़ / स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली / मुख्य मंत्री सचिवालय, पटना / मुख्य सचिव, बिहार, पटना / बिहार सरकार के सभी प्रधान सचिव/ सचिव/ विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त /महानिदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना/ सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप श्रमायुक्त (कृ0श्र0सहित)/ सहायक श्रमायुक्त, शोध शाखा / सभी सहायक श्रमायुक्त (कृ0श्र0सहित) सभी श्रम अधीक्षक (कृ0श्र0सहित) निदेशक, कृ0श्र0, बिहार, पटना/मुख्य निरीक्षी पदाधिकारी, बिहार, पटना/ मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना/सभी उप मुख्य कारखाना निरीक्षक/सभी कारखाना निरीक्षक/मुख्य वाष्पित्र निरीक्षक बिहार, पटना एवं सभी वाष्पित्र निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

अमरेन्द्र नारायण मिश्र 18/6/14

(अमरेन्द्र नारायण मिश्र)
सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञापांक-5/एम0डव्लू-402 /08 श्र0सं0- 1696 पटना, दिनांक- 19-6-14

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग सह-अध्यक्ष, बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद / सभी सदस्य, बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद / सचिव, बिहार चेम्बर ऑफ कामर्स, खेमचन्द चौधरी मार्ग, पटना-01 / सचिव, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसियेशन, सिन्हा लाईब्रेरी रोड, पटना / प्राचार्य, बिहार पशु चिकित्सा महाविधालय, पटना / उप कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविधालय, पटना /मुख्य अभियंता (ग्रामीण अभियंत्रण संगठन) ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना / मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग तकनीकी कोषांग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

2. संबंधित पदाधिकारियो से अनुरोध है कि अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत प्रभावित होने वाले सभी कर्मी एवं कार्यालय को अपने-अपने स्तर से अधिसूवना की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे ।

अमरेन्द्र नारायण मिश्र 18/6/14

(अमरेन्द्र नारायण मिश्र)
सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञापांक-5/एम0डव्लू-402 /08 श्र0सं0- 1696 पटना, दिनांक- 19-6-14

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अमरेन्द्र नारायण मिश्र 18/6/14

(अमरेन्द्र नारायण मिश्र)
सरकार के अवर सचिव ।